रिव्यू 624-I-15

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र0क0 /2015 पुनरावलोकन

श्री अनुराग बंसल एडवो
द्वारा आज दि 25.3.15 को
प्रस्तुत
25-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल

25/3/15
(Anurag Bansal Adv)

रामचरन पुत्र श्री हीरालाल जाति गौड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम मालनपुर थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड. ....प्रार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जरिये अधीक्षक, भू–अभिलेख व्यपवर्तन, भिण्ड ...प्रतिप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 वास्ते पुनरावलोकन आदेश दिनांक 10–4–14 पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर प्र0क0 **M-2110-I/2011**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 624–एक/15 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2015	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10–4–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है ।	

केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष